न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 10/2023

1. बजरंगलाल पुत्र सोहनलाल पुत्र कासीराम जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राज.)।

–अपीलान्ट

बनाम

1. इन्द्रो देवी पुत्री शांन्ति जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राज.)।

2. गुड्डी देवी पुत्री शांन्ति जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू

3. प्रतापसिंह (फौत)।

3/1 –सरोज पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट साकिन गालड़ तहसील सिद्वमुख जिला चुरू।

3/2 – राजेश पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट साकिन गालड़ तहसील सिद्वमुख जिला चुरू।

3/3 – ऊषा पुत्री प्रतापसिंह पत्नी मन्दीप पुत्र हरदत गोदारा जाति जाट साकिन नन्दगढ़ तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।

3/4 – मुकेश पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट साकिन गालड़ तहसील सिद्वमुख जिला चुरू।

3/5 – पुष्पा पुत्री प्रतापसिंह जाति जाट साकिन गालड़ तहसील सिद्वमुख जिला चुरू।

4. बिमला देवी पुत्री शांन्ति जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

5. मैना देवी पुत्री शांन्ति जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

–असल रेस्पोडेन्टस

7. चमेली पत्नी सोहनलाल जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:14 IST
Reason: SelfAttested

8. अनीता पुत्री सोहनलाल जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

9. बबीता पुत्री सोहनलाल जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राज.)।

10. वशु पुत्री सोहनलाल जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

11. कविता पुत्री सोहनलाल जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
12. ओमपति पुत्री सोहनलाल जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
13. सरिता पुत्री सोहनलाल जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
14. शान्ति पुत्री कासीराम जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

—तरतिबी रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः— श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट।

श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या—1 ता 5

श्री आंनद उपाध्याय अधिवक्त रेस्पोडेन्ट संख्या— 7 ता 14

निर्णय दिनांकः—20.03.2025

अपीलांट बजरंगलाल पुत्र सोहनलाल पुत्र कासीराम जाति जाट साकिन गालड अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) भादरा दिनांक 23.05.2023 जिसमें इंतकाल संख्या 3295 रोही मोजा शेरड़ा तहसील भादरा तस्दीक किया गया, को निरस्त करवाने बाबत् अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. अपील कृत निर्णय विधि विरूद्व तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है। नकल इंतकाल संख्या 3295 संलग्न अपील है।

2. रोही मौजा ग्राम शेरड़ा तहसील भादरा के ख0नं0 239 की 5.4880 हैक्टेयर भूमि कासीराम ने जरिये बैयनामा दिनांक 27.03.1970 को संयुक्त परिवार की आय से खरीद की थी, जिसका बैयनामा अपने पुत्र महेंन्द्रसिंह पुत्र कासीराम के नाम करवा दिया था। महेंन्द्रसिंह पुत्र कासीराम का जन्म दिनांक 09.09.1963 को हुआ था। वर वक्त बैयनामा महेंन्द्रसिंह पुत्र कासीराम 6—1/2 वर्ष का नाबालिग था। महेंन्द्रसिंह पुत्र कासीराम लावल्द फौत हो गया, उसके फौत होने पर विवादित भूमि उसकी माता शांन्ति पत्नी कासीराम के नाम दर्ज हो गई एवं शांन्ति पत्नी कासीराम के फौत होने पर विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 5 ने अपने नाम विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 23.05.2023 को इंतकाल संख्या 3295 [illegible] नाम दर्ज करवा ली है, जो विधि के मान्य सिद्धान्तो के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य हैं।

3. विवादित भूमि रोही मौजा ग्राम शेरड़ा तहसील भादरा के ख0नं0 239 की 5.4880 हैक्टेयर भूमि कासीराम ने जरिये बैयनामा दिनांक 27.03.1970 को संयुक्त परिवार की आय से खरीद की थी, जिसका बैयनामा अपने पुत्र महेंन्द्रसिंह के नाम करवा दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:14 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

था। महेंन्द्रसिंह वर वक्त बैयनामा 6–1/2 वर्ष का नाबालिग था। इसलिए विवादित भूमि पैतृक जदीजायदाद है। कासीराम की पत्नी शांन्ति के रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 5 सन्तान हुई। कासीराम की पत्नी बाला देवी के अपीलान्ट का पिता सोहनलाल एवं शांन्ति पुत्री कासीराम की 2 सन्तान हुई। इसलिए कासीराम एवं उसकी दोनो पत्नियो एवं महेंन्द्रसिंह पुत्र कासीराम के फौत होने पर विवादित भूमि के रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 5 एवं अपीलान्ट के पिता सोहनलाल के वारीसान एवं शांन्ति पुत्री कासीराम ब.हि.ब. 1/7, 1/7 हिस्सा के हकदार हुए एवं इसी अनुसार विवादित भूमि पर काबिज हैं इसलिए इसी अनुसार हक व हिस्सा की घोषणा करवाने के लिए अपीलान्ट के पिता सोहनलाल ने उपखण्ड अधिकारी राजस्व भादरा की अदालत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया, जो जैरकार है, साथ में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया, जिसमें दिनांक 24.07.2007 को अस्थायी जारी कर दी गई, जो बाद सुनवाई दिनांक दिनांक 24.06.2015 को ताफैसला दावा कन्फर्म कर दी गई, जो आज भी प्रभावी है। दौराने दावा वादी सोहनलाल फौत हो गया, जिसके वारीसान को पक्षकार बनाने बाबत् प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी. पी.सी. पेश किया, जो खारीज होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ की अदालत में अपील पेश कि जो स्वीकार की गई एवं वादी सोहनलाल के वारीसान को दावा में पक्षकार बनाया गया। सोहनलाल के वारीस अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 7 ता 13 है। इसी दौरान् रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 5 ने विधि विरूद्ध इन्तकाल द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा होने के बावजूद भी विवादित भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है, इसलिए इन्तकाल निरस्त योग्य है।

4. विवादित भूमि पैतृक जदीजायदाद होने के कारण कासीराम के सातों वारीस ब.हि. ब. के हकदार है एवं विवादित भूमि सातो वारीसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है। विधि विरूद्ध इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 7 ता 14 को कोई सूचना एवं नोटिस जारी नही किया ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया ना ही इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कब्जा सम्बधी जांच की, यदि सही जांच कर पत्रावली का निर्णय किया जाता, तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:14 IST
Reason: SelfAttested

5. मातहत अदालत को निर्णय करने से पूर्व उपरोक्त जांच कर प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जबकि पत्रावली पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, जो मातहत अदालत ने एक अहम भूल की है जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

6. उपखण्ड अधिकारी राजस्व भादरा की अदालत में इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद जैरकार है एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में दिनांक 24.07.2007 को अस्थायी जारी कर दी गई, जो बाद सुनवाई दिनांक दिनांक 24.06.2015 को ताफैसला दावा कन्फर्म कर दी गई, जो आज भी प्रभावी है। अस्थायी निषेधाज्ञा को नजर अन्दाज कर मातहत अदालत ने इन्तकाल तस्दीक किया है, जो निरस्त योग्य है।

7. मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनमाना एवं कानून सम्मत नहीं है, जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए निरस्त योग्य है।

8. मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

9. अपील अदालत के क्षैत्राधिकार निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है।

10. यह कि अन्य कानून एवं तथ्यों सम्बन्धित वर वक्त बहस अर्ज किया जावेगा।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इंतकाल संख्या 3295 रोही मोजा शेरड़ा तहसील भादरा दिनांक 23.05.2023 निरस्त करने का आदेश फरमावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3/2, 3/4, 4, 5 की ओर से श्री हरिसिंह सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ता 14 की ओर से श्री आन्नद उपाध्याय एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1, 3/5 जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक तामिल होनें के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1, 3/5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–6 तहसीलदार भादरा से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रोही मौजा ग्राम शेरड़ा तहसील भादरा के खसरा नं0 239 की 5.4880 हैक्टेयर भूमि कासीराम ने जरिये बैयनामा दिनांक 27.0[illegible]70 को संयुक्त परिवार की आय से खरीद की थी, जिसका बैयनामा अपने पुत्र [illegible]सिंह पुत्र कासीराम के नाम करवा दिया था। महेंन्द्रसिंह पुत्र कासीराम का जन्म दिनांक 09.09.1963 को हुआ था। जब बैयनामा किया गया तब महेंन्द्रसिंह पुत्र कासीराम 6–1/2 वर्ष का नाबालिग था। महेंन्द्रसिंह पुत्र कासीराम लावल्द फौत हो गया, उसके फौत होने पर विवादित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

उसकी माता शांन्ति पत्नी कासीराम के नाम दर्ज हो गई एवं शान्ति पत्नी कासीराम के फौत होने पर विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता 5 ने अपने नाम विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 23.05.2023 को इंतकाल संख्या 3295 द्वारा अपने नाम दर्ज करवा ली है। कासीराम की पत्नी शांन्ति के रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 5 सन्तान हुई। कासीराम की पत्नी बाला देवी के अपीलान्ट का पिता सोहनलाल एवं शांन्ति पुत्री कासीराम 2 सन्तान हुई। इसलिए कासीराम एवं उसकी दोनो पत्नियो एवं महेंन्द्रसिंह पुत्र कासीराम के फौत होने पर विवादित भूमि के रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता 5 एवं अपीलान्ट के पिता सोहनलाल के वारीसान एवं शांन्ति पुत्री कासीराम ब.हि.ब. 1/7 – 1/7 हिस्सा के हकदार हुए एवं इसी अनुसार विवादित भूमि पर काबिज हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 23.05.2023 को तस्दीक नामान्तरण संख्या 3295 को खारिज कर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता रेसपोडेन्ट संख्या 1, 2, 3/2, 3/4, 4, 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट शान्ति पत्नी काशीराम के वारिस नहीं है बल्कि बाला पत्नी काशीराम के वारिस है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से शान्ति पत्नी काशीराम के वारिस है। इसलिए शान्ति की भूमि का विरासतन नामान्तरण रेस्पोडेन्ट के नाम सही हुआ है। इसी आधार पर अपील काबिल खारीजी के है। अपीलांट का इस भूमि के हक के संबध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा में दावा चल रहा है। उसमें फैसला होना है। इसलिए अपीलांट इस अपील में कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है। अपील में दर्ज भूमि शान्ति को उसके पुत्र महेन्द्र की मृत्यु के बाद विरासतन उसकी खरीदशुदा भूमि में मिली है। शान्ति के नाम भूमि दर्ज होनें के नामान्तरण की कोई अपील, इनके द्वारा नहीं की गई थी। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा नामान्तरण संख्या 3295 दिनांक 23.05.2023 को तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरण दर्ज करते समय तहसीलदार भादरा द्वारा काशीराम के अन्य वारिसान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई [illegible] में न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से [illegible] अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा तस्दीक नामान्तरण सं. 3295 दिनांक 23.05.2023 को अपास्त किया जाता है एंव तहसीलदार भादरा [illegible] इस निर्देश के साथ पत्रावली प्रतिप्रेषत(Remand) की जाती है कि कासीराम के वारिसान के जांच पड़ताल कर, सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

न्यायालय की तलबशुदा नामान्तरण की मूल प्रति निर्णय की प्रमाणित संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 20/3/25 को सरेइजलास सुनाया गया

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:14 IST
Reason: SelfAttested